रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10032023-244258
SG-DL-E-10032023-244258

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2023/ फाल्गुन 19, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 515
No. 75]	DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2023/ PHALGUNA 19, 1944	[N. C. T. D. No. 515

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2023

स. फा. 14(69)/एलए–२०२०/ dsadvice/122-130.–भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2023 को मिली सहमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक वेतन तथा भत्ते (संशोधन) अधिनियम, 2023

(२०२३ का दिल्ली अधिनियम ०५)

4 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[9th March, 2023]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 2003 में पुनः संशोधन करने के लिए एक अधिनियम । भारत गणराज्य के तिहत्तरवे वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा यह निम्न रूप से अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** – (1) इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा ।

(2) यह उप–राज्यपाल द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथानियत तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **धारा 3 का संशोधन** :– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 2003 (2003 का दिल्ली अधिनियम 5) (इसके पश्चात ''मूल अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के लिए निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्–

''(3) मुख्य सचेतक ऐसे वेतन, भत्ते तथा अन्य पात्रताओं को प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्री (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत किसी मंत्री को ग्राह्य है। ''

3. **धारा 4 तथा धारा 5 का लोप और धारा 6, धारा 7, धारा 8 एवं धारा 9 का पुनःक्रमांकन** – मूल अधिनियम में धारा 4 तथा धारा 5 का लोप किया जाएगा और धारा 6, धारा 7, धारा 8 एवं धारा 9 का पुनःक्रमांकन किया जाएगा जैसा कि क्रमशः धारा 4, धारा 5, धारा 6 तथा धारा 7 में किया गया है।

भरत पाराशर, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2023

F. 14(69)/LA-2020/dsadvice/122-130—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 14th February, 2023 and is hereby published for general information:-

"THE SALARY AND ALLOWANCES OF THE CHIEF WHIP IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) ACT, 2023"

(DELHI ACT NO. 05 OF 2023)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 4th July, 2022).

[9th March February, 2023]

An Act to further to amend the Salary and Allowances of the Chief Whip in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi Act, 2003.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-third year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, and commencement. - (1) This Act may be called the Salary and Allowances of the Chief Whip in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 3. – In the Salary and Allowances of the Chief Whip in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi Act, 2003, (Delhi Act 5 of 2003) (hereinafter referred to as the principal Act), for section 3, the following section shall be substituted, namely:-

"(3) The Chief Whip shall be entitled to receive a salary, allowances, and such other entitlements as are admissible to a Minister under the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994."

3. Omission of section 4 and section 5 and re-numbering of section 6, section 7, section 8 and section 9. – In the principal Act, section 4 and section 5 shall be omitted, and section 6, section 7, section 8 and section 9 shall be re-numbered as section 4, section 5 section 6 and section 7, respectively.

BHARAT PARASHAR, Principal Secy. (Law, Justice & Legislative Affairs)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA